

भाग - II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में रायपुर-कुमाल्डा-कददूखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 35 से घेना तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-3.325 किमी०) के निर्माण हेतु 2.0825 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड-2, को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	टिहरी गढ़वाल
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग।
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेअर में)	5.1415 हैक्टर वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.2975 हैक्टर, आरक्षित वन भूमि श्रीपुर कक्ष सं० -6ए, 6वी (मसूरी वन प्रभाग) 0.0870 हैक्टर सि०सो० भूमि ग्राम घेना चक लग्गा दुबलियान। (मसूरी वन प्रभाग) 1.330 हैक्टर, आरक्षित वन भूमि भुत्सी क०सं०-1, (नरेन्द्रनगर वन प्रभाग) 0.3680 हैक्टर, सि०सो० भूमि ग्राम घेना, (नरेन्द्रनगर वन प्रभाग) 2.0825 हैक्टर
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4 (श्रीपुर कक्ष सं० -6ए, 6वी)
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित मोटर मार्ग का समरेखण दो वन प्रभागों (मसूरी वन प्रभाग तथा नरेन्द्रनगर वन प्रभाग) के कार्यक्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है। मोटर मार्ग के प्रस्तावित समरेखण / स्थल पर (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत आरक्षित वन भूमि में-68, सिविल सोयम भूमि में-01 कुल 69 वृक्ष) जिसमें 39 बांज प्रजाति के वृक्ष सम्मिलित तथा नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत 115वृक्ष) कुल 184 वृक्ष विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के अवस्थित हैं, जिसमें 145 बांज प्रजाति के वृक्ष सम्मिलित है। प्रस्तावित स्थल पर अवस्थित कुल वृक्षों एवं वास्तविक रूप से प्रभावित /वाधित होने वाले वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के संलग्नक- प्रपत्र-19, 19.1, 19.2, 19.4, 19.5, 20 पर वन प्रभागवार चरप्पा है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	इस बावत वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक(से०नि०) लो०नि०वि० देहरादून की दो पृष्ठीय भू-गर्भीय आख्या प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र -33 के साथ चरप्पा है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि श्रीपुर कक्ष सं० -6ए, 6वी तथा ग्राम घेना चक लग्गा दुबलियान सिविल सोयम भूमि (मसूरी वन प्रभाग) एवं भुत्सी कक्ष सं०-1, (नरेन्द्रनगर वन प्रभाग) तथा ग्राम घेना वन पंचायत /सिविल सोयम भूमि की सीमा अन्तर्गत है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।(यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र -25 पर तत्संबंधी प्रमाण पत्र चरप्पा है।

(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक /पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र -37 पर तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र चरप्पा है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र -14 पर चरप्पा है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.0825 है0 के बदले दुगने 4.165 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम घेना सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं मानचित्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र 42 व 42 ए एवं प्रपत्र 10ए व 10डी पर चरप्पा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र 42 व 42 ए पर चरप्पा है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु0 11,60,640.00 (रु0 ग्यारह लाख साठ हजार छः सौ चालीस मात्र)
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु0 11,60,640.00 (रु0 ग्यारह लाख साठ हजार छः सौ चालीस मात्र)
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्कलन एवं मानचित्र प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित हैं।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र-4 पर चरप्पा है। तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिनांक 12.7.2018 को वर्णित स्थल का निरीक्षण किया गया है। जो संलग्नक प्रपत्र-4ए संयुक्त निरीक्षण के साथ चरप्पा है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण दि0.10-07-2018 को किया गया है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	मसूरी वन प्रभाग/जिला- टिहरी गढ़वाल
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4421 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4058.90 वर्ग कि0मी0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 94 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 979.9032 है0 है, इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 516.5694 है0 है।

(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- (ख) वनेतर भूमि पर:-	(क) 227.0912 हैक्टेयर / 622.9106 है0 (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1- 218.90 है0 / 504.88 में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों तथा अद्योहस्ताक्षरी के स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक: 26-7-2018।
स्थान: - मसूरी,

हस्ताक्षर

नाम:- (कह'कशां नसीम)
सरकारी मुहर
प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी